an>

Title: Regarding non-procurement of wheat at minimum support price in many states.

श्री जगदम्बिका पाल **(डुमरियागंज):** अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया है। इस सदन ने पिछले दिनों लगातार देश में ओलावृष्टि से, अतिवृष्टि से उत्तर भारत के किसानों की जो फसल का नुकसान हुआ है, किसानों ने जो आत्महत्याएं की हैं, उस पर सम्पूर्ण सदन निरन्तर चिन्ता व्यक्त करता रहा है। सदन में उसके उपाय के लिए भी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उन महत्वपूर्ण फैसलों में उन्होंने फसलों के मुआवजे के लिए, जो अभी तक देश में आजादी के बाद मानक 50 प्रतिशत फसल के नुकसान का था, उसको घटाकर के 33 प्रतिशत कर दिया और जो मुआवजे की राशि थी, उसे डेढ़ गुना बढ़ा दिया, 1.20 लाख से चार लाख कर दिया और यहां तक ही नहीं, केन्द्र सरकार ने एक फैसला यह किया है कि जो उस अतिवृष्टि के कारण रबी की फसल में गेहूं के जो उस उत्पादन में जो गिरावट आई, गेहूं की फसल में जो एक बीघा में छः क्विंटल से कम नहीं होता था, उसमें दो क्विंटल गेहूं हो रहा है, उसमें भी जो खरीद के लिए एफ.सी.आई. के मानक थे, उसको भी केन्द्र सरकार ने कहा है कि जो अब गेहूं टूट गये हैं, जो इसमें छः परसेंट से आठ परसेंट है, उसमें 3.63 रुपये प्रति क्विंटल कट करके उसको खरीदा जायेगा। इसी तरीके से जिसमें आठ परसेंट से दस परसेंट गेहूं की गुणवत्ता में कमी थी, उसके लिए था कि 7.25 रुपये प्रति क्विंटल कम करके जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1450 रुपये है, उसमें गेहूं की खरीद हो।

एक तरफ तो किसान उस ओलावृष्टि से परेशान है, दूसरी तरफ गेहूं की खरीद न होने से आज किसान के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं सिद्धार्थनगर से आता हूं, अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का बयान आया कि तीन दिनों के अन्दर मुआवजा बंट जाये और गेहूं की खरीद सुनिश्चित की जाये। केन्द्र सरकार ने गेहूं की खरीद में एक राहत भी दी है, लेकिन इसके बावजूद भी केन्द्रों पर, चाहे वह पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में, जो सैण्ट्रल पूल का है, इस छूट के बावजूद भी गेहूं की खरीद नहीं हो रही है और किसान आज मजबूर हो रहा है। एक महत्वपूर्ण समाचार चैनल में आज सुबह आपने देखा कि मथुरा की मंडियों में आज गेहूं को 1450 रुपये प्रति क्विंटल की बजाय किसान द्वारा आढ़तियों को कहीं 1100 रुपये, कहीं 1200 रुपये पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आप यह बताइये कि एक तरफ तो उसकी फसल का नुकसान हो गया और दूसरी तरफ 300 रुपये कम प्रति क्विंटल उसको गेहूं के दाम मिल रहे हैं।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please wind up.

श्री जगदम्बिका पाल**:** मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। 300 रुपये प्रति क्विंटल कम पर उसको गेहूं बेचना पड़ रहा है। जिस तरह से नुकसान हुआ है, आज आलू जो नासिक में है, वह एक हजार की जगह 500 रुपये प्रति क्विंटल में बिक रहा है। इसी तरह से गेहूं 1200-1300 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है तो मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देशित किया जाये, ताकि किसानों की गेहूं की खरीद मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सुनिश्चित की जा सके, जिससे जो किसानों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हो सके। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: *m02 Shri Sharad Tripathi is permitted to associate with the issue raised by Shri Jagdambika Pal.